न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 37/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. नरेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 10, कृष्णा मंदिर चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. योगेश सिडाना पुत्र श्री राधेश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 10, कृष्णा चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

....वादीगण.....

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री मुखी राम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 10, कृष्णा मंदिर चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. मुंशी राम पुत्र श्री मुखी राम जाति अरोड़ा निवासी 18 एम एल हिरनांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. श्रीमती राम देवी पुत्री श्री मुखी राम पत्नी श्री रामनारायण जाति अरोड़ा निवासी 1/86 हाउसिंग बोर्ड, हनुमान मंदिर के पास, श्रीगंगानगर ।
4. श्रीमती रेशमा रानी पुत्री श्री मुखी राम पत्नी श्री प्रेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी महताब बस्ती, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीमती संतोष रानी पुत्री श्री मुखी राम धर्मपत्नी श्री गोपाल राम जाति अरोड़ा निवासी 6 पी 33 जवाहर नगर श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं उपस्थित।
पैरोकार राज (प्रति.–6)

दिनांक 04.03.2024

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता के नाम से वाके चक 14 एल एन पी के खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 1.492 हैक्टेयर नहरी रकबा दर्ज कागजात माल है। वादीगण के दादा, प्रतिवादीगण के पिता [illegible] व पूरा नाम मुखी राम है, मगर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम मुंशी [illegible] दर्ज हो गया है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है, जिसे [illegible] वादीगण के दादा के नाम से चक 13 एल एन पी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 37 में 1.644 है0 भूमि थी, जिसमें उनका सही नाम मुखी राम अंकित है यह कि वादी[illegible] के दादा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि घरू बंटवारा में वादीगण को दे दी थी तथा उक्त भूमि का कब्जा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण को सपुर्द कर दिया था तथा वादीगण के दादा ने वादीगण से कहा हुआ था कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से उक्त भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा । इसी विश्वास पर वादीगण ने उक्त रकबा में बड़ी मेहनत करके व काफी धन खर्च करके रकबा को उपजाउ बनाया है। मगर दिनांक 23.09.2020 को वादीगण के दादा का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद प्रतिवादीगण ने भी वादीगण को विश्वास दिलाया कि उकत भूमि जब तुम लोग कहोगे, तुम्हारे नाम करवा देगें। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, मगर दिनांक 20.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार भूमि नाम करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है द्य यह कि प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) यह कि चक 14 एल एन पी के खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 1.492 हैक्टेयर नहरी रकबा का वादीगंण नरेश कुमार व योगेश सिडाना पुत्रान श्री राधेश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 10, नजदीक कृष्णा मंदिर चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी में दर्ज नाम मुन्शीराम पुत्र श्री चेलाराम को विलोपित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जावे ।

(2) यह कि वादीगण का लगान कायम करने के आदेश फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 द्वारा अपसी सहमति के आधार पर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसके मुताबिक चक 14 एल एन पी के खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 1.492 हैक्टेयर नहरी रकबा का वादीगंण नरेश कुमार व योगेश सिडाना पुत्रान श्री राधेश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 10, नजदीक कृष्णा मंदिर चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी में दर्ज नाम मुन्शीराम पुत्र श्री चेलाराम को विलोपित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 13 एलएनपी प्रथम पटवार हल्का बख्तावाली(19 एलएल) भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 82/74, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 14 एलएनपी पटवार हल्का बख्तावाली(19 एलएल) भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 73/64 की प्रति पेश की। वाद में पक्षकारान मध्य आपसी सहमति [illegible]। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जा सकता है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल से [illegible]) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आ[illegible] पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगंण नरेश कुमार व योगेश सिडाना पुत्रान श्री राधेश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 10, नजदीक कृष्णा मंदिर चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को चक 14 एल एन पी के खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 1.492 हैक्टेयर नहरी रकबा का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी में दर्ज नाम मुन्शीराम पुत्र श्री चेलाराम को विलोपित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.03.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner